



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02092021-229362
CG-MH-E-02092021-229362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3265]
No. 3265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2021/BHADRA 11, 1943

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

मुंबई, 30 अगस्त, 2021

का.आ. 3568(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, "वर्धा (सेवाग्राम) – नागपुर चौथी लाइन" कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (२) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण)	नागपुर (ग्रामीण)	नागपुर
2	उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपुर (शहर)	नागपुर (शहर)	नागपुर
3	उप जिलाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे महामंडल, वर्धा	वर्धा	वर्धा
4	उप जिलाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे महामंडल, वर्धा	सेलू	वर्धा

[फा. सं. जी.197/2021/जीओएम/विशेष/4]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th August, 2021

S.O. 3568(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Wardha (Sewagram) – Nagpur 4th line**” in the State of Maharashtra relating to Tahsil Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Tahsil	District
1	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Gramin)	Nagpur (Gramin)	Nagpur
2	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (City)	Nagpur (City)	Nagpur
3	Dy. Collector (Land Acquisition) Vidarbha Patbandhare Mahamandal, Wardha	Wardha	Wardha
4	Dy. Collector (Land Acquisition) Vidarbha Patbandhare Mahamandal, Wardha	Seloo	Wardha

[F. No. G 197/2021/GOM/SPL/4]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)